नम्बर व तारी
हकाम जो इस
तामील में जा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार / कैम्प कोर्ट नंगलीमेघा)
पीठासीन अधिकारी :– *श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.*

/11	तारीख रजू 25.03.2011	तारीख निर्णय 21.05.2018

उनवान

1. शंकरदास पुत्र श्री कालाराम (मृतक)
1/1 रघुवीर सिंह पुत्र श्री शंकरदास
1/2 रामखिलाडी पुत्र श्री शंकरदास
1/3 राजेन्द्र पुत्र श्री शंकरदास
1/4 बिजेन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद
1/5 नरेश पुत्र श्री जगदीश प्रसाद
1/6 सुरेश पुत्र श्री जगदीश प्रसाद पौत्र शंकरदास
1/7 राजपाल पुत्र दलबीर सिंह
1/8 लेखराज पुत्र दलबीरसिंह पौत्र शंकरदास जातियान ओड राजपूत निवासी नंगलीमेघा तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर .... प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खाता सं0 439 खसरा नम्बर 413 रकबा 0.12, खाता सं0 413 खसरा नम्बर 404 रकबा 0.01 हैक्ट0 वाके ग्राम नंगलीमेघा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। प्रश्नगत आराजी हाल खाता सं0 439 में मृतक हुकमचन्द का 1/4 हिस्सा, मृतक चांदीराम का 1/4 हिस्सा, मृतक कालाराम का 1/4 हिस्सा तथा शेष 1/4 हिस्सा वादी का कब्जे काश्त गैरखातेदारी की है। जो राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है। विवादित आराजी खाता सं0 413 मुझ वादी के पिता कालाराम के नाम तन्हा गैरखातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है। मिन वादी के पिता कालाराम का स्वर्गवास हो चुका है। जिसका मै एक मात्र तंन्हा वारिस काबिज दाखिल जायदाद हूँ। इसी प्रकार मुझ वादी के संगे चाचा–ताऊ हुकमचन्द व चांदीराम भी लाऔलाद फोत हो चके है और उनके वर्तमान में कोई वारिस नही है उनके हिस्से रकबे भी मिन वादी ही काबिज दाखिल रहकर काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार प्रश्नगत आराजीयात के सम्पूर्ण रकबे पर मिन वादी काबिज दाखिल रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रश्नगत आराजीयात पर मिन वादी बुजुर्गो के समय से ही काबिज दाखिल चले आने से खातेदारी अधिकारात प्राप्त हो चुके है। मिन वादी 7.03.2011 को प्रश्नगत आराजीयात की बाबत अपने को बतौर खातेदारी अधिकारी की घोषणा कराये जाने तथा बतौर खातेदार राजस्व अभिलेख में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

3. यह है कि प्रश्नगत आराजी हाल

कराये जाने हेतु प्रतिवादी के पास गये और उनसे इस क्रम में निवेदन करने पर उन्होंने इसके लिए सक्षम न्यायालय से अहकाम जारी कराने के लिए कहां। जिसे बाबत दावा पेश किया गया।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री घोषणात्मक व दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि प्रश्नगत आराजी हाल खाता सं0 439 खसरा नम्बर 413 रकबा 0.12, खाता सं0 413 खसरा नम्बर 404 रकबा 0.01 हैक्ट0 वाके ग्राम नंगलीमेघा तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी को तन्हा रूप से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कराया जाने का अहकाम जारी किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण (पैरोकार सरकार) की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया। जिसका विवरण इस प्रकार है कि पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2064–67 ग्राम नंगलीमेघा के खाता सं0 439 खसरा नम्बर 413 रकबा 0.12 गै0मु0चाह में हुकमचन्द पुत्र नणादास 1/4 हिस्सा, शंकरदास पुत्र कल्लाराम 1/4 हिस्सा, चांदीराम पुत्र तुलसाराम 1/4 हिस्सा, कालाराम पुत्र रूपचन्द 1/4 हिस्सा, राजपूत गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। खाता सं0 413 के खसरा नम्बर 404 रकबा 0.01 चाही–1 में कालाराम पुत्र रूपचन्द राजपूत सा0 देह गैरखोदार दर्ज रिकार्ड है।

वादी ने दावे के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2064–67, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058, सैटलमेन्ट विभाग का मिलान खसरा, खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 से 17 की प्रमाणित प्रति पेश की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट / शिविर ग्राम पंचायत नंगलीमेघा में दिनांक 21.05.2018 को पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। मुताबिक मिलान खसरा भू.प्रबन्ध विभाग वाके ग्राम नंगलीमेघा तहसील रामगढ में गत खसरा नम्बर 205 के हाल खसरा नम्बर 413 रकबा 0.12 हैक्ट0 में शंकरदास, हुकमचन्द, चांदीराम, कालाराम राजपूत प्रत्येक का 1/4 हिस्सा सा0 देह अलोट 4 साल गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी ग्राम नंगलीमेघा के सम्वत [illegible] के गत खसरा नम्बर 183 के हाल खसरा नम्बर 404 रकबा 0.01 गै0मु0 चाह सम्वत

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

2015 में हुकमचन्द, शंकरदास, कालाराम, चांदीराम समभाग की काश्त अंकित है। प्रश्नगत राजीयात के सम्पूर्ण रकबे पर वादी काबिज दाखिल रहकर काश्त करता चला आ रहा है। र्तमान में भी वादी का ही कब्जा काश्त है। इसलिए वादी को खातेदार घोषित किया जाना चित प्रतीत होता है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल खाता सं0 439 सरा नम्बर 413 रकबा 0.12, खाता सं0 413 खसरा नम्बर 404 रकबा 0.01 हैक्ट0 वाके ग्राम गलीमेघा तहसील रामगढ जिला अलवर का वादीगण को तन्हा रूप से खातेदार घोषित किया ाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण नाम उक्तानुसार अंकन करना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील म्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट नंगलीमेघा में सुनाया या।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट नंगलीमेघा)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
119 /11	25.03.2011	21.05.2018

उनवान

1. शंकरदास पुत्र श्री कालाराम (मृतक)
   1/1 रघुवीर सिंह पुत्र श्री शंकरदास
   1/2 रामखिलाडी पुत्र श्री शंकरदास
   1/3 राजेन्द्र पुत्र श्री शंकरदास
   1/4 बिजेन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद
   1/5 नरेश पुत्र श्री जगदीश प्रसाद
   1/6 सुरेश पुत्र श्री जगदीश प्रसाद पौत्र शंकरदास
   1/7 राजपाल पुत्र दलबीर सिंह
   1/8 लेखराज पुत्र दलबीरसिंह पौत्र शंकरदास जातियान ओड राजपूत निवासी नंगलीमेघा तहसील रामगढ जिला अलवर।

...................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर

.... प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल खाता सं0 439 खसरा नम्बर 413 रकबा 0.12, खाता सं0 413 खसरा नम्बर 404 रकबा 0.01 हैक्ट0 वाके ग्राम नंगलीमेघा तहसील रामगढ जिला अलवर का वादीगण को तन्हा रूप से खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम उक्तानुसार अंकन करना सुनिश्चित करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0